अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी।

स्वत्व वाद 67 / 1995

21-11-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 की ओर से हाजिरी दी गई। वादी एवं अन्य प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिरी–पैरवी नहीं है। वाद पुकार कराया गया। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी बिहार सरकार एवं अन्य प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्युत्तर दाखिल करना है, इसलिए मुझे एक अवसर प्रदान किया जाय, साथ–ही अन्य प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी बिहार सरकार के दाखिल आवेदन के कॉपी को प्राप्त करायें। सुना। अन्य प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी बिहार सरकार के दाखिल आवेदन दिनांक–13.09.2022 को प्राप्त करें, ताकि संबंधित आवेदन पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जा सके। वास्ते दिनांक–22.11.2022 प्रत्युत्तर कॉपी प्राप्त करने एवं अग्रेत्तर सुनवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी